प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं संभागीय आयुक्त, उदयपुर

प्रकरण संख्या - 02/2022 आर.टी.आई.
दायर दिनांक - 29.03.2022
निर्णय दिनांक - 12.04.2022

श्री वरूण कौशिक पुत्र श्री रामानन्द शर्मा, निवासी 01/49, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, गोवर्धन विलास, उदयपुर	**बनाम**	लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

प्रथम अपील अन्तर्गत राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

-: निर्णय :-

श्री वरूण कौशिक पुत्र श्री रामानन्द शर्मा, निवासी 01/49, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, गोवर्धन विलास, उदयपुर की सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत प्रथम अपील दिनांक 28.03.2022 को आरटीआई पोर्टल पर प्राप्त हुई। अपीलार्थी अनुसार लोक सूचना अधिकारी, अति. संभागीय आयुक्त, उदयपुर द्वारा वांछित सूचनाएं अपूर्ण एवं भ्राम्रक उपलब्ध कराये जाने से प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।

कार्यालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के पत्र क्रमांक 1072 दिनांक 29.03.2022 से श्री वरूण कौशिक द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील की प्रति लोक सूचना अधिकारी को भिजवाते हुए अपील पर बिन्दुवार उत्तर चाहा गया तथा उसकी प्रति अपीलार्थी को रजिस्टर्ड डाक से भिजवाने हेतु लिखा गया। इस पत्र की प्रति अपीलार्थी को भेज, जरिये ईमेल एवं डाक, सूचित किया गया कि यदि अपील के जवाब पर कोई पक्ष/प्रति-उत्तर निम्नहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करना चाहे अथवा व्यक्तिगत सुनवाई चाहते है तो उपस्थित हो सकते है।

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर ने अपील का जबाव दिनांक 05.04.2022 को प्रस्तुत किया, जिसमें अवगत कराया कि अपीलार्थी श्री वरूण कौशिक को कार्यालय में उपलब्ध/संधारित अभिलेख अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत देय सूचना निर्धारित समयावधि में उपलब्ध करा दी गई। प्रावधानों के अन्तर्गत मात्र ऐसी सूचना की इस अधिनियम के अन्तर्गत आपूर्ति की जा सकती है जो पहले से विद्यमान हो और लोक प्राधिकरण द्वारा धारित की गई हो अथवा नियंत्रणाधीन धारित हो। राज्य लोक सूचना अधिकारी से सूचना का सृजन करने, अथवा सूचना का व्याख्यान करने, अथवा आवेदकों द्वारा उठाई गई समस्याओं को हल करने, अथवा काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर दिये जाने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। अपीलार्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत अभिलेख पर उपलब्ध रेकार्ड अनुसार वांछित सूचना निर्धारित समयावधि में नियमानुसार उपलब्ध करा दी गई है। अतः प्रस्तुत अपील निराधार होने से निरस्त फरमाई जावें।

लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर द्वारा उक्त प्रथम अपील का उत्तर अपीलार्थी को भी भिजवाया गया हैं। इस कार्यालय के पत्रांक 1212 दिनांक 06.04.2022 से भी अपीलार्थी को

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

Scanned with CamScanner

अपना पक्ष/प्रति उत्तर प्रस्तुत करने एवं व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। उक्त पत्र दिनांक 12.04.2022 अपीलार्थी को जरिये ईमेल, आरटीआई पोर्टल एवं डाक से प्रेषित किया गया।

प्रश्नगत अपील में लोक सूचना अधिकारी के उत्तर पर अपीलार्थी द्वारा लिखित प्रतिक्रिया जरिये ईमेल दिनांक 11.04.2022 को प्राप्त हुई, जिसमें अपीलार्थी ने कथन किया कि आवंटी अधिकारी द्वारा कार्यालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर में वर्ष 2020 में नियुक्ति प्राप्त करने वाले नए कर्मचारियों को उक्त श्रेणी के आवास आंवटित कर दिए गए, जबकि मेरे द्वारा आवेदन फरवरी 2018 में ही प्रस्तुत कर दिया गया था, जो अपनी वरीयता के अनुसार प्राप्त अवसर व अधिकार को सुनिश्चित करना मेरा कर्तव्य है तथा सूचना का अधिकार अधिनियम सभी आवेदकों को यह शक्ति प्रदान करता है। सूचना दिनांक 16.02.2022 से चाही गई सूचना संख्या 03 में लोक सूचना अधिकारी द्वारा संबंधित कर्मचारिगण की सूचना प्रदान नहीं की जाकर मन मुताविक दिनांक 01.03.2021 से 18.01:2022 के मध्य कार्यालय के किसी भी कार्मिक को चतुर्थ व पंचम श्रेणी के आवास आंवटित नहीं किए गए है की सूचना प्रदान की गई। चूंकि उक्त कार्यालय में नव नियुक्त कर्मचारियों को आवास दिनांक 10.09.2020 तथा 08.01.2021 को आवंटित किये गये है। आवंटी अधिकारी द्वारा गंभीरता एवं प्रकरण की प्राथमिकता के अनुक्रम में आवास आवंटन किए जा रहे है, उक्त स्थिति देखे तो मुझ अपीलार्थी द्वारा आवास आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र फरवरी, 2018 में प्रस्तुत किया गया था तथा अपीलार्थी द्वारा यह भी वर्णित किया गया कि सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना के अधिकार के तहत चाही गई सूचनाओं में अपने मनमर्जी से अंकन कर सूचनाएं उपलब्ध कराई जा रही है।

अपील पर लोक सूचना अधिकारी के जवाब, अपीलार्थी की लिखित प्रतिक्रिया एवं उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन एवं मनन किया।

अपीलार्थी द्वारा आक्षेप प्रस्तुत किया कि प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या-2 का जवाब जानबूज कर छुपाया जा रहा है। अपीलार्थी के उक्त आक्षेप के खण्डन में विधिक स्थिति स्पष्ट करती है कि सूचना का अर्थ किसी भी रूप में कोई सामग्री है जो उस लोक प्राधिकरण में पहले से उपलब्ध है। सूचना और सूचना का अधिकार की परिभाषा नागरिक को सामग्री प्राप्त करने, सामग्री का निरीक्षण करने, सामग्री के नमूने लेने, डिस्केट इत्यादि के रूप में सामग्री लेने का अधिकार प्रदान करती है। लोक सूचना अधिकारी से अपेक्षित है कि वह आवेदक को ऐसी सामग्री भेजे जिसके लिए उसने अनुरोध किया जो किन्तु यह अपेक्षित नहीं है कि वह सामग्री से कोई निष्कर्ष निकाले और उसे आवेदक को भेजे। इसके साथ ही सामग्री उसी रूप में भेजे जिस रूप में वह लोक प्राधिकरण में उपलब्ध है। सामग्री से कुछ तथ्यों की खोज कर नागरिक को ऐसे खोजे गए तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का कर्त्तव्य नहीं है। ऐसे में हम लोक सूचना अधिकारी के जवाब से संतुष्ट है कि प्रावधानों के अन्तर्गत मात्र ऐसी सूचना की इस अधिनियम के अन्तर्गत आपूर्ति की जा सकती है जो पहले से विद्यमान हो और लोक प्राधिकरण द्वारा धारित की गई हो अथवा नियंत्रणाधीन धारित हो। राज्य लोक सूचना अधिकारी से सूचना का सृजन करने, अथवा सूचना का व्याख्यान करने, अथवा आवेदकों द्वारा उठाई गई समस्याओं को हल करने, अथवा काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर दिये जाने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। अपीलार्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत अभिलेख पर उपलब्ध रेकार्ड अनुसार वांछित सूचना निर्धारित समयावधि में नियमानुसार उपलब्ध करा दी गई है।

न्यायालय संभागीय आयुक्त उदयपुर

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

2

Scanned with CamScanner

अपीलार्थी द्वारा यह कथन भी किया गया कि प्रतीक्षा सूची जो चाही गई वो पूर्व में भी आप द्वारा उपलब्ध कराई गई एवं जानकारी को छुपाया जाता है जिससे वरीयता को दर किनार कर आवास आवंटन किया जाता है। अपीलार्थी के उक्त आक्षेप के खण्डन में विधिक स्थिति स्पष्ट करती है कि लोक सूचना अधिकारी से कोई नागरिक सूचना मांग सकता है किन्तु इस बात का कारण सूचित किये जाने की अपेक्षा नहीं कर सकता कि किसी निश्चित कार्य का क्या औचित्य था, या वह क्यों किया गया, या क्यों नहीं किया गया, औचित्य पर निर्णय, फैसला सुनाने वाले प्राधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में आने वाला विषय है और इसे यथोचित रूप से सूचना के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी प्रदान की गई सूचना की व्याख्यान करने की अपेक्षा रखता है, जो विधिक प्रावधानों के विरूद्ध है। उक्त विधिक स्थिति के आलोक में अपीलार्थी का उक्त आक्षेप स्वीकार योग्य नहीं है।

आवास आवंटन नियम-1958 अनुसार आवंटी अधिकारी को अपवादों एवं उल्लेखित शर्तों के अधीन आवास आंवटन किये जाने का अधिकार है। इसी नियम में प्रदत्त शक्तियों एवं उल्लेखित अपवादों के अनुसारण में आवंटी अधिकारी संभागीय आयुक्त द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर स्थिति की गंभीरता एवं प्रकरण की प्राथमिकता के अनुक्रम में आवास आवंटन किये जा रहे है। अपीलार्थी को पूर्व में सूचना एवं वर्तमान सूचना में भिन्नता के कथन उपरोक्त विधिक स्थिति के आलोक में औचित्यपूर्ण नही है।

उपरोक्त विवचेन से स्पष्ट होता है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 17.02.2021 से मांगी गई सूचना को अधिनियम की धारा-7 की उपधारा (1) में निर्धारित 30 दिवस की अवधि में उपलब्ध कराई है। इस कथन की पुष्टि इस तथ्य से भी होती है कि अपीलार्थी द्वारा अपने प्रत्युतर दिनांक 12.04.2022 में सूचना प्राप्त होने का अंकन किया है अर्थात लोक सूचना अधिकारी विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अपीलार्थी के सूचना के अनुरोध पर विनिश्चय करने में सफल रहे है।

अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से अस्वीकार एवं खारिज की जाती है। अतः उक्त अपील का निस्तारण करते हुए फैसल शुमार किया जावें एवं नम्बर से कम किया जावें।

(राजेन्द्र भट्ट)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
01- लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर
02- श्री वरूण कौशिक पुत्र श्री रामानन्द शर्मा, निवासी 01/49, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, गोवर्धन विलास, उदयपुर

संभागीय आयुक्त,
उदयपुर

Scanned with CamScanner